



**FUTURE  
UNIVERSITY**

Learn · Assimilate · Transcend

**Future University, Bareilly**

**Annexure - 01**

**Gazette Notification**



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग—२, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, २ जुलाई, २०२४

आषाढ ११, १९४६ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—१

संख्या 212 / ७९-वि-१-२०२४-२-क-६-२०२४

लखनऊ, २ जुलाई, २०२४

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९ सन् २०२४) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—१ प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, २०२४

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९ सन् २०२४)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१९ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

यूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, २०२४ संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या 12  
सन् 2019 की  
अनुसूची 2 का  
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 41 के पश्चात् उत्तर अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 41 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बंधित प्राविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

| क्रमांक | विश्वविद्यालय का नाम                      | प्रायोजक निकाय का नाम  |
|---------|---|--|
| 42      | पश्चिम विश्वविद्यालय, वरेली, उत्तर प्रदेश | श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, वरेली, उत्तर प्रदेश |

कठिनाईयों दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, पश्चिम विश्वविद्यालय, वरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपर्युक्त, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीक्षीय समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल,  
राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 212(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-6-2024

Dated Lucknow, July 2, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Chaturth Sanshodhan) Adhyayesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyayesh Sankhya 9 of 2024) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-I is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT)  
ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 9 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024.

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 41, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 41 for the newly established Universities the following serial numbers and entries relating thereto shall be *inserted*, namely :-

Amendment of  
Schedule 2 of  
UP Act no 12  
of 2019

| Sl.<br>no. | Name of the University                     | Name of the Sponsoring Body  |
|------------|--|--|
| 42         | Future University, Bareilly, Uttar Pradesh | Shree Rajendra Kumar Gupta Memorial Trust, Bareilly, Uttar Pradesh |

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Future University, Bareilly, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient :

Power to remove  
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

ANANDIBEN PATEL,  
*Governor,*  
*Uttar Pradesh.*

By order,  
ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv*

पीएसयूपी०-ए०पी० 113 राजपत्र-2024-(337)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पीएसयूपी०-ए०पी० 5 साठ विधायी-2024-(338)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।